

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 26 अप्रैल, 2024

समाज कल्याण अनुभाग-3

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर फीस लॉक किये जाने हेतु पोर्टल खोलने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-146/स०क०/ शिक्षा-अ/4/597/2024-25 दिनांक 22.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत फीस लॉक किये जाने की कार्यवाही हेतु निम्नानुसार पोर्टल खोलने की अनुमति प्रदान करते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
1	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा फीस को अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	30 अप्रैल से 03 मई, 2024 तक
2	जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा भरी गयी फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक करना।	04 मई से 07 मई, 2024 तक

A.O

N.A..

26.4.2024

(सिद्धार्थ मिश्र)

सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति) उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-11/2024/148/26-3-2024/C.No-1513982 दिनांक 11-01-2024 द्वारा वित्तीय वर्ष/ शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत मास्टर डाटा लॉक करने से लेकर वितरण तक की प्रक्रिया हेतु समय निर्धारित करते हुए समय-सारिणी जारी की गयी है।

3- वित्तीय वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा फीस लॉक न किये जाने के कारण अनुसूचित जाति के 13550 छात्रों को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) प्राप्त नहीं हुई है। इन छात्रों को उक्त वर्ष की छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से फीस लॉक कराया जाना है।

4- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी द्वारा फीस को अंकित कर लॉक करने के उपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा उक्त फीस को अथवा स्वयं फीस अंकित कर लॉक करने की कार्यवाही की जायेगी। उक्त डाटा में से जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के स्तर से वेरीफाईड डाटा वाले छात्रों को 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि का भुगतान नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु डाटा भारत सरकार को शेषर किया जायेगा।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष/वैश्विक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत फीस लॉक किये जाने की कार्यवाही हेतु उपरोक्तानुसार पोर्टल खोलते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by रजनी

कान्त पाण्डेय

(रजनी कान्त पाण्डेय)

Date: 26-04-2024 11:34:57 उप सचिव।

प्र0सं0 एवं दिनांक तदैव।

Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 9- गार्ड फाईल।

आशा से,

(रजनी कान्त पाण्डेय)

उप सचिव।